"घ"

प्रेषक,

संख्या-2302/26-2-04-19(20)/04

श्री अनिल सन्त,
सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2004

विषय- समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के शैक्षिक पदों हेतु उच्चीकृत वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1490/26-2-04-4(392)/99, दिनांक 29 जुलाई, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका तथा प्रशिक्षित सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका के पदों पर निम्न तालिका के स्तम्भ 1 के क्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमानों को तालिका के स्तम्भ 2 के अनुसार उच्चीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।:

क्रमांक	वर्तमान वेतनमान (रू0)	उच्चीकृत वेतनमान (रू0)
	1	2
1	3200-85-5410 (प्रारम्भिक वेतन रू0 4220)	5500-175-9000
2	3200-85-4900 (प्रारम्भिक वेतन रू0 3455)	4500-125-7000

2- सहायक अध्यापक (अप्रशिक्षित) पदों का वेतनमान, जो शासनादेश संख्या-1490/26-2-04-4(392)/99, दिनांक 29 जुलाई, 2004 द्वारा रू0 2750/- नियत निर्धारित किया गया है, यथावत रहेगा।

3- उपरोक्त उच्चीकृत वेतनमान उन शिक्षकों को ही अनुमन्य होंगे जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय विद्यालयों के लिए निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करते हों, विधिवत निर्धारित मानदण्डों के अधीन नियुक्त हों तथा विभाग द्वारा अनुमोदित हों। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उच्चीकृत वेतनमान इन विद्यालयों को समाज कल्याण विभाग द्वारा देय एक मुश्त अनुदान की धनराशि को आगणित/निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ अनुमन्य किया जा रहा है। इसके आधार पर इन शिक्षकों द्वारा ऐसी किसी सुविधा का दावा अनुमन्य नहीं होगा, जो उन्हें शासन द्वारा पूर्व से स्वीकृत नहीं हैं।

4- उक्त उच्चीकृत वेतनमान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे इसके पूर्व की अवधि का कोई भी अवशेष किसी भी रूप में अनुमन्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त उच्चीकृत वेतनमान उन्हीं अध्यापकों को अनुमन्य होगा जो बेसिक शिक्षा परिषद के समान स्तर के अध्यापकों के समान अर्हताएं रखते हों एवं प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों के अधीन नियुक्त हों, इसे सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, समाज कल्याण विभाग का होगा।

6- उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-908/दस-2004, दिनांक 17 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

ह0/-
(अनिल सन्त)
सचिव।

संख्या-2302(1)/26-2-04, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1/2
3- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
4- समाज कल्याण अनुभाग-1/3
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
विशेष सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या-सी-1306 /सक/शिक्षा/प्रा0पा0/वे0पु0/2004-05
लखनऊ: दिनांक: सितम्बर 24, 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
3- श्री पूर्णमासीदीन, प्रान्तीय महामंत्री, उ0प्र0अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसियेशनउ0प्र0लखनऊ को रिट सं0-3587/04 (एसएस) में पारित आदेश दि021-7-04के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

23/9/04

(फूल चन्द)
उप निदेशक,
कृते निदेशक।